



॥श्री॥ निगरानी १२०१-१८१-१५

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर {म०१००}
-०-

जगदीश पिता हिरालाल जाति सुतार निवासी बोडिया
तह सरदारपुर जिला धार {म०१००} -- प्रार्थी

बनाम

कलश पिता हिरालाल, जाति चारणा
निवासी बोडिया तह सरदारपुर जिला धार -- विपक्षी

केसकेस निगरानी अंतर्गत धारा ५० म.प्र. भु.रा.स.
-०-

माननीय महोदय ,

सेवा मे प्रार्थी की ओर से न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी
{ राजस्व } सरदारपुर क्षेत्र जिला धार के पत्र क्र. १६११ /री.१ /२०१५ दिनांक
५.६.१५ से असंतुष्ट एवं दुःखी होकर अंदर अर्पित निगरानी पेश है :-

प्रकरण के तथ्य

क्रमांक 6030
जिस्टर्ड केस
13.2.15
राजस्व मण्डल ग्वालियर

गौरीम बोडिया प.ह.न. १३/२२ तह सरदारपुर के पटेल प्रार्थी के पिता हिरालाल
की मृत्यु दिनांक २४.१.१५ को हो चुकी होकर प्रार्थी द्वारा अपने पिता के स्थान
पर पटेल नियुक्त हेतु आवेदन पेश किया गया इसी के साथ विपक्षी द्वारा भी
अनु० अधिकारी राजस्व सरदारपुर को पत्र पर नियुक्त का आवेदन दिया गया।

अनु० अधि० द्वारा दोनों के आवेदन पत्र जाँच हेतु तहसीलदार सरदारपुर को
भेजे गये तहसीलदार सरदारपुर द्वारा दोनों आवेदकों के अलग अलग प्रकरण दर्ज
अ५५ मे दर्ज कर जाँच एवं रिपोर्ट प्राप्त कर अभिमत अनु० अधि० सरदारपुर को भेजा
गया अनु० अधिकारी द्वारा मृतक पटेल के पुत्र को पटेल नियुक्त नहीं कर विपक्षी
को अस्थाई नियुक्त किया गया उसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्न
कारणों सहित प्रस्तुत है कि :-

आधार निगरानी

१- यह कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं प्रकरण पत्रिका
के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

२- यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटेली पद हेतु दिये गये प्रावधानों के
विपरीत आदेश देने मे कानुनी भूल की है गौर होवे।

